दिनांक : 23 फरवरी, 2014

यूपीए-2 के दौरान राज्यसभा

-अरुण जेटली

राज्य सभा में विपक्ष के नेता

यूपीए–2 के कार्यकाल का संसद का आखिरी सत्र समाप्त हो चुका है। इसलिए मुझे राज्यसभा के कामकाज का पिछले पांच साल का लेखा–जोखा करने का अवसर मिला है। जहां मुझे नेता विपक्ष और अपनी पार्टी के नेता के रूप में काम करने का अवसर मिला। मुझे इस बात का काफी संतोष है कि पिछले पांच वर्ष के दौरान राज्यसभा में कुछ उत्कृष्ट चर्चाएं हुईं जिसमें बडी संख्या में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने भाग लिया। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि सदन का बहुत सारा कीमती समय शोर–शराबे और विरोध की राजनीति के कारण बर्बाद हुआ। कुल मिलाकर स्थिति का आकलन करें तो मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि उच्च स्तर की चर्चा से जनहित साधे जाते हैं और यहां तक कि विपक्ष और बाकी सदस्यों को हंगामे के बजाय इन चर्चाओं से कहीं अधिक हासिल होता है। अपनी अच्छी तैयारी के साथ सदन में मौजूद विपक्ष को सरकार को शर्मसार करने के लिए अतिरिक्त सुअवसर मिल जाता है और वह ऐसे मंत्रियों से मुकाबला कर सकता है जो हो सकता है कि उन मुद्दों पर पूरी तैयारी के साथ न आए हों।

मैं कुछ उत्कृष्ट चर्चाओं पर गौर करने के लिये अपने रिकार्ड देख रहा था जो पिछले पांच साल के दौरान हुईं। 2009 के मानसून सत्र के दौरान तीन दिन की चर्चा के दौरान 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन के सारे तथ्यों का खुलासा हुआ। तत्कालीन संचार मंत्री ए राजा इस घोटाले में आरोपी थे और उनके लिये खुद का बचाव करना बहुत मुश्किल हो गया था। तब तक अनेक तथ्यों के बारे में पता नहीं था। तब तक अनेक तथ्यों के बारे में पता ही नही था जो अब इस मामले में आरोपी के खिलाफ सीबीआई के आरोप पत्र का हिस्सा हैं।

प्रधानमंत्री ने शर्म अल शेख में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ संयुक्त वक्तव्य जारी किया जिसमें आतंकवाद पर भारत की चिंता को पाकिस्तान के साथ वार्ता पर सरकार की नीति में गौण महत्व का कर दिया गया। राज्य सभा ने शर्म अल शेख के प्रारूप पर प्रधानमंत्री से स्पष्टीकरण पूछने की प्रक्रिया के दौरान एक उत्कृष्ट चर्चा देखी। कोपेनहेगन में जलवायु परिवर्तन पर वार्ता के बारे में जारी वक्तव्य पर जो चर्चा हुई वह जलवायु परिवर्तन प्रारूप बनाने में मददगार हुई। किसी विषय पर बेहतर चर्चा विशेषज्ञों के लिये उदाहरण बन सकती है।

संसद के दोनो सदनों में 6 दिसंबर 1992 की घटनाओं पर न्यायमूर्ति लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। देर रात तक चर्चा होती रही जिसमें सदस्यों ने रिपोर्ट के अंश के आधार पर जमकर तर्क वितर्क किये। न्यायमूर्ति सौमित्र सेन पर महाभियोग पर राज्यसभा में दो दिन चर्चा हुई । राज्यसभा अदालत में तब्दील हो गई जहां सदस्यों ने कई घंटे न्यायाधीश को सुना। न्यायाधीश की दलील पर विचार किया गया और सदस्यों ने रिकार्ड के आधार पर तथ्यों की समीक्षा की और अतंतः उन्हें दोषी पाया। राज्यसभा में डुबरी और कोकराझार में सांप्रदायिक हिंसा पूर्वोत्तर राज्यों के छात्रों और देश के अन्य भागों में युवाओं पर हमले से जुडे मुद्दों पर बार बार चर्चा हुई। सदस्यों ने दलगत राजनीति से उपर उठकर पूर्वोत्तर के इन मुद्दों पर देश हित को ध्याान में रखते हुये पक्ष रखा।

भ्रष्टाचार के मुद्दे राज्य सभा में छाए रहे। राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला, वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे से लेकर देश में भ्रष्टाचार से जुड़े सामान्य मुद्दों पर लंबी चर्चाएं हुई। लोकपाल विधेयक पर दो बार चर्चा हुई। 29 दिसम्बर 2011 की आधी रात में अधूरी बहस को रोक दिया गया क्योंकि अधिकांश सदस्य कमजोर लोकपाल विधेयक के खिलाफ थे। इस विधेयक को राज्य सभा की प्रवर समिति के पास भेज दिया गया जिसने इस विधेयक में संशोधन किए और अंततोगत्वा राज्य सभा ने लोकपाल के अंतिम मसौदे को मंजूरी दे दी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले मसीहा अन्ना हजारे की गिरफ्तारी को लेकर राज्य सभा में उच्च स्तर की तीखी बहस हुई।

राज्य सभा के साठ वर्ष पूरे होने पर सदस्यों को भारतीय लोकतंत्र की स्थिति पर रोशनी डालने का मौका मिला। चर्चा दलगत भावना से ऊपर उठकर और प्रेरणादायक रही। एक लॉबीस्ट के फोन टैपिंग ने फोन टैपिंग के अधिकार पर चर्चा कराई और साथ ही लॉबीस्ट की भूमिका भी तीखी बहस का मुद्दा बनी।

राज्य सभा ने अनेक मंत्रालयों के कामकाज पर भी चर्चा की और उन पर विचार किया। राज्य सभा ने अनेक विधेयक पारित किये; इनमें सबसे महत्वपूर्ण महिला आरक्षण विधेयक (लोक सभा ने पारित नहीं किया), लोकपाल कानून, आंध्र प्रदेश बंटवारा कानून, परमाणु क्षतिपूर्ति के बारे में नागरिक दायित्व विधेयक, खाद्य सुरक्षा विधेयक और नया भूमि विधेयक रहे। नागरिक परमाणु दायित्व कानून के बारे में विस्तार से उच्च स्तर की चर्चा हुई। महिला आरक्षण विधेयक और तेलंगाना गठन पर विधेयक के दौरान हंगामा देखने को मिला और सदस्यों को शोर–शराबे के बीच ही भाषण देने पड़े। अंतिम दिन हंगामे के बावजूद बहस हुई।

अधिकतर चर्चाओं का सीधा प्रसारण किया गया और यहां तक कि निजी समाचार चैनल भी क्वालिटी की बहस दिखा रहे थे। इनमें से एक बहस न्यायमूर्ति सौमित्र सेन के महाभियोग से संबंधित थी जो अब राज्य सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित विस्तृत पुस्तक का विषय बन चुकी है।

राज्य सभा में जब बहस होती है तो अच्छी बहस होती है। अधिकतर सदस्य खासतौर से सभापति हंगामे और शोर–शराबे से काफी नाराज होते हैं। उन्हें यह कहते सुना गया–'क्या राज्य सभा अराजकता फैलाने वालों का संघ है'। सदस्यों ने विस्तृत विचार–विमर्श के लिए अपने स्थानों पर खड़े होकर कहा कि क्या यह टिप्पणी रिकॉर्ड में रहनी चाहिए या नहीं। कुछ इससे सहमत थे और अन्य ने इस पर आपत्ति की। एक सदस्य ने तो कहा कि क्या अराजकता फैलाने वालों का संघ हो सकता है। राज्य सभा चरमोत्कर्ष पर थी लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय में बहस के लिए अधिक अवसर मिलेंगे।

★★★★★